जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 333/2026

कोतवाली थाना कांड सं0 261/2019

दीपक कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य।

10.04.2026 आवेदक **दीपक कुमार सिंह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

उभय पक्षों को सुना।

अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या –4046/पं0रा0, दिनांक 25.07.2018 के आलोक में संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सह आई0 टी0 सहायक का नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के पश्चात् विभागीय पत्रांक 5861/पं0 रा0 दिनांक 24.10.2018 के आलोक में दिनांक 17.11.2018 के तकनीकी सहायक एवं दिनांक 20.11.2018 को लेखपाल सह आई0 टी0 सहायक पद हेतु काउन्सेलिंग आयोजित करने का निर्देश प्राप्त था। जिला स्तर पर उक्त तिथि को दोनों पदों का काउन्सेलिंग किया गया, काउन्सेलिंग के पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 1302/पं0 दिनांक 05.11.2018 को जिला चयन समिति का बैठक आयोजित कर जिला चयन समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से मेधा सूची एवं प्रतिक्षा सूची तैयार किया गया। मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण का सत्यापन के उपरान्त ही नियोजन किये जाने का निदेश प्रधान सचिव, पंयायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7150/पं0, दिनांक 20.12.2018 के द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उनके संबंधित संस्थान/बोर्ड को भेजा गया। शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरान्त अद्योलिखित अभ्यर्थियों नजिंम, दीपक गोपाल, दीपक कुमार सिंह (आवेदक) एवं रूबी कुमारी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक को इस आरोप की जानकारी नहीं थी। आवेदक बीएससी परीक्षा पास है, बीकॉम परीक्षा पास नहीं है।

लगातार

10.04.2026. आवेदक पर उक्त धाराओं का आरोप नहीं बनता है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक पर संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सह आई0टी0 सहायक के नियोजन हेतु दिये गये अपने आवेदन के साथ फर्जी एवं कुटरचित अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के क्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के द्वारा फर्जी पाया गया है। कांड दैनिकी के पारा 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने अभियोजन का पूर्ण समर्थन किए हैं। यह प्रतीत होता है कि आवेदक फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के उद्देश्य से ऐसा कार्य किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में **आवेदक दीपक कुमार सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 10.04.2026.

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 10.04.2026.